



उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN:U40101UP2004SGC028687

GSTIN: 09AAACU8823E1Z9

कारपोरेट टैक्स (जी०एस०टी० सेल) Corporate Tax (GST Cell)

कक्ष संख्या-320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, ई-मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.- 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX - 8320,

पत्रांक: 575 / का०टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल / 2021 /

दिनांक 30 / 10 / 2021

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी

उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।

मुख्य अभियन्ता (डी० एण्ड पी०) / 765 केवी / सी०

एण्ड सी० / सी०एम०यू०टी० जानपद (i) / (ii) / पारेषण मध्य / पश्चिम /

दक्षिण-पूर्व / उत्तर-पूर्व / दक्षिण-पश्चिम / दक्षिण-मध्य

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०

लखनऊ / मेरठ / प्रयागराज / गोरखपुर / आगरा / झांसी।

विषय: केन्द्र सरकार / राज्य सरकार अथवा लोकल अथॉरिटी के कार्यों के सम्बन्ध में।

कृपया इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देश सं० 18 / का०टैक्स एवं जी०एस०टी० / 2020 दिनांक 13.02.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया था कि उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० के Government Entity होने के कारण उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० द्वारा निम्नलिखित सेवाएँ जी०एस०टी० से Exempt होंगी-

"Government Entity द्वारा केन्द्र सरकार / राज्य सरकार अथवा लोकल अथॉरिटी को दी जाने वाली सेवाओं / कार्यों, जो कि केन्द्र सरकार / राज्य सरकार अथवा लोकल अथॉरिटी द्वारा अनुदान (Grant) देकर कराया गया हो, पर जी०एस०टी० की दर शून्य होगी।"

उपरोक्त Exemption का लाभ प्राप्त करने हेतु तीन शर्तों का पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

क्रम सं०	शर्त	अनुपालन
1.	सेवा प्रदाता का Government Entity होना।	उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० Government Entity है।
2.	सेवा प्राप्त कर्ता का केन्द्र सरकार / राज्य सरकार अथवा लोकल अथॉरिटी होना।	इस सम्बन्ध में उचित प्रपत्र जमाकर्ता से प्राप्त किये जाये जिससे जमाकर्ता का केन्द्र सरकार / राज्य सरकार अथवा लोकल अथॉरिटी होना सुनिश्चित हो सके।
3.	प्रतिफल की राशि के अनुदान "Grant" रूप में प्राप्त होना।	इस सम्बन्ध में उचित प्रपत्र जमाकर्ता से प्राप्त किये जाये जिससे प्रतिफल अनुदान के रूप में मिला है इसकी पुष्टि हो सके।

अतः ऐसे जमा कार्य जिसमें जमा कर्ता केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा लोकल अथॉरिटी हो, ऐसे प्रकरणों में जमाकर्ता द्वारा अनुदान की पुष्टि उपरान्त जमा के स्थान पर राजस्व/पूँजीदायी अनुदान (Revenue/Capital Grant) का प्राक्कलन तैयार किया जाये एवं तदनुसार लेखों में प्रविष्टी करी जाये।

(ए०के० गुप्ता)
अधिशाली निदेशक (वित्त एवं लेखा)

पत्रांक: / का० टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/वित्त/आपरेशन/कार्य एवं परि०/एस०एल०डी०सी/वाणिज्य एवं नियोजन उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन/ गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य/पश्चिम/दक्षिण-पूर्व/उत्तर-पूर्व/दक्षिण-पश्चिम/ दक्षिण मध्य, लखनऊ/मेरठ/प्रयागराज/गोरखपुर/आगरा/झांसी।
4. लेखाधिकारी (निधि)/मुख्यालय वित्त एवं भुगतान इकाई (पारेषण मुख्यालय), उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
5. अधिशाली अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ए०के० गुप्ता)
अधिशाली निदेशक (वित्त एवं लेखा)